प्रेषक,

जी0 पी0 कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 20 दिसम्बर 2016

विषय **दिनांक 24 दिसम्बर, 2016** को **"राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस"** के रूप में वृहद कार्यक्रम आयोजित करके मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर को "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" घोषित किया गया है।

2. आगामी दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' के अवसर पर गोलमेज कार्यशाला, निबन्ध, वाद-विवाद, चित्रकला प्रतियोगिता एवं अन्य दूसरे कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाय। अतः कृपया उपभोक्ताओं के हितों के रक्षार्थ एवं उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों से परिचित कराने एवं अपने उपभोक्ता हितों की रक्षा करने हेतु निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जायें :-

(1) सेमिनार, प्रदर्शनी तथा गोलमेज कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय और उपभोक्ताओं को आमंत्रित करके उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सामग्री का वितरण किया जाय।

(2) उपभोक्ताओं के समस्याओ को समाधान करने वाले जिला उपभोक्ता फोरमों के महत्वपूर्ण निर्णयों से उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाय।

(3) जनता से संबंधित कार्यो को करने वाले विभागों/उपक्रमों द्वारा खुले सत्र आयोजित करके उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना जाय तथा उनका निराकरण किया जाय।

(4) विभिन्न समाचार पत्रों में उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित आलेखों का प्रकाशन कराया जाय।

(5) स्कूल, कालेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करें।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया अपने जनपदों में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगें, जिसमें जिसमें गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाय ताकि उपभोक्ता संरक्षण एवं उनके अधिकारों का प्रस्तर-2 में उल्लिखित कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों/कालेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में इस अवसर पर उपरोक्त उल्लिखित कार्यक्रम का आयोजन अपने मार्गदर्शन में आयोजित कराने का कष्ट करें।

4. कृपया उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (दिनांक 24 दिसम्बर, 2016) के अवसर पर उपर्युक्तानुसार वृहद कार्यक्रम आयोजित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जी0 पी0 कमल
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम को राज्य मुख्यालय पर आयोजित किये जाने के संबंध में अपेक्षित समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के साथ ही इस संबंध में उपरोक्तानुसार सफल कार्यक्रम हेतु समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।

(4) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 वालाकदर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया बांट-माप से संबंधित प्रदर्शनी/सामग्री प्रत्येक जनपद में लगाकर आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु तत्संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, गोखले मार्ग, लखनऊ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) राज्य स्तरीय समन्वयक, भारतीय तेल निगम, कपूरथला अलीगंज, लखनऊ।

(9) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाये जाने से सम्बन्धित उपर्युक्त सूचना को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जी0 पी0 कमल

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।